न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/02/2022

थानाधिकारी पुलिस थाना कैंथवाड़ा जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

मौहब्बत पुत्र रमजान जाति सक्का मेव उम्र 30 साल निवासी गोधोला थाना पुन्हाना जिला नूँह (हरियाणा)

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.न. 64/2022 में जप्त वाहन संख्या एचआर 74 बी 5670 के बाबत।

उपस्थित :–

1–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,

2–श्री मुकीम खान अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांक 14.9.2022

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना कैंथवाड़ा जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) इस आश्य का पेश किया गया, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.4.2022 को दौराने नाकाबन्दी एक पिकअप गाडी को रोक कर चैक किया गया। पिकअप गाड़ी का रजि. नम्बर एचआर 74 बी 5670 की बाडी में 05 गौंवश गायों को वेहरमी से ऊपर नीचे पटकर भर रखा था। पूछताछ में पिकअप ड्राईवर ने अपना नाम मौहब्बत पुत्र रमजान जाति सक्का मेव उम्र 30 साल निवासी गौधौला थाना पुन्हाना जिला नूहू मेवात हरियाणा का होना बताया। उक्त गौवंश को राजस्थान से हरियाणा परिवहन करना बताया। इस प्रकार मौहब्बत द्वारा बिना परमिशन के राजस्थान से हरियाणा प्रान्त में गौकशी हेतु गौंवश को ले जाने का अपराध 5/8 गौवध अधिनियम की तारीफ में आना पाये जाने पर गाडी पिकअप रजि.न. एचआर 74 बी 5670 को बतौर साधन अपराध जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। पिकअप गाड़ी का चैसिस नम्बर व

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

इन्जन नम्बर डालकर वेबसाईड पर चैक किया तो उक्त पिकअप का पंजीकृत स्वामी असमलम पुत्र नूरदीन निवासी मूलथान मेवात तहसील नगीना मेवात होना पाया गाया । मौहब्बत पुत्र रमजान के खिलाफ अपराध धारा 5, 6 व 8 आरबीए एक्ट पाया गया।

प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थी असलम पुत्र नूरदीन निवासी मूलधन तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूँह हरियाणा जरिये मुखत्यार आम मौहब्बत पुत्र रमजान निवासी गौधोला थाना पुन्हाना जिला नूँह की ओर से अभिभाषक मुकीम खान उपस्थित आये। अप्रार्थी के अभिभाषक को प्रार्थना पत्र की नकल दी गई तथा आरोपों के सम्बन्ध में अपना जबाव साक्ष्य वगे. प्रस्तुत करने को कहा गया। अभिभाषक अप्रार्थी ने कोई जबाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करने की प्रार्थना की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से ए.पी.पी. ने प्रार्थी थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि पुलिस थाना कैथंवाडा ने 16.4.2022 को दौराने नाकाबन्दी एक पिकअप गाडी को रोक कर चैक किया गया। पिकअप गाड़ी का रजि. नम्बर एचआर 74 बी 5670 की बाडी में 05 गौंवश गायों को वेहरमी से ऊपर नीचे पटकर भर रखा था। पूछताछ में पिकअप ड्राईवर ने अपना नाम मौहब्बत पुत्र रमजान जाति सक्का मेव उम्र 30 साल निवासी गौधौला थाना पुन्हाना जिला नूहू मेवात हरियाणा का होना बताया। उक्त गौवंश को राजस्थान से हरियाणा परिवहन करना बताया। मौहब्बत द्वारा बिना परमिशन के राजस्थान से हरियाणा प्रान्त में गौकशी हेतु गौंवश को ले जाने का अपराध 5/8 गौवध अधिनियम की तारीफ में आना पाये जाने पर इसके खिलाफ थाना हाजा में एफआर दर्ज की गई। गाडी पिकअप रजि.न. नम्बर एचआर 74 बी 5670 की को बतौर साधन अपराध जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। जप्त वाहन को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी असलम पुत्र नूरदीन निवासी मूलधन तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूँह हरियाणा जरिये मुखत्यार आम मौहब्बत पुत्र रमजान निवासी गौधोला थाना पुन्हाना जिला नूँह वाहन संख्या नम्बर एचआर 74 बी 5670 की मालिक है,। उक्त वाहन को पुलिस थाना कैथंवाडा ने गौवंश तस्करी में जप्त किया गया है, वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है जिससे वाहन के खराब होने की पूर्ण संभावना है। जप्त वाहनों की पुलिस थाना को अब कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यों

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

हेतु उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। जप्त वाहनों को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं।

1–क्या गौवंश को राजस्थान की सीमा क्षेत्र से बाहर ले जाया जारहा था?
2–क्या जप्त वाहन से गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन किये जाने लिप्त थे?
3–क्या अप्रार्थी0 के पास गोवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर लेजाने का सक्षम अधिकारी का परमिट था?

1 व 2 – राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात प्रतिवन्धित किया हुआ है। थाना अधिकारी खौह जिला भरतपुर (राजस्थान) ने उक्त एचआर 74 वी 5670 वाहन को गौवंशीय पशु को राजस्थान की सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन करते हुये दिनांक 16.4.2022 को जप्त किया गया है। जप्त वाहन संख्या एचआर 74 वी 5670 की बाडी में 05 गौंवश गायों को वेहरमी से ऊपर नीचे पटकर भर रखा था। उक्त गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से परिवहन कर हरियाणा ले जाया रहा था। जप्त वाहन संख्या एचआर 74 वी 5670 गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाया गया है। पुलिस थाना कैंथवाड़ा द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ गौवंश को राजस्थान सीमा से हरियाणा परिवहन करते हुये गिरफतार किया जाकर इसके विरुद्व धारा 5 8 गौवंश अधिनियम के तहत एफआइआर नम्बर 64/2022 दर्ज की गई है।

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 की धारा 11 :–

> "Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him. "

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी वाहन मालिक की ओर से सिवाय इसके कि जप्त वाहन खुले में थाना परिसर में खड़ा हुआ है जिससे वाहन खराब हो जायेगा। पुलिस थाना खोह को वाहन की अब कोई आवश्यकता नही है, प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यो हेतु की आवश्यकता को देखते हुये जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिया जावे। परन्तु योग्य अभिभाषक वाहन मालिक ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे जप्त वाहन राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य की सीमा में गौंवश की तस्करी परिवहन में लिप्त नहीं होना माना जा सके।

3 – राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को बिना सक्षम अधिकारी के परमिट / स्वीकृति के बिना निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। इस सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक अपीलान्ट से राजस्थान सीमा से बाहर गौवंश को परिवहन करने की स्वीकृति / परमिट के बारे पूछा गया तो योग्य अभिभाषक वाहन मालिक की ओर से गौवंश को राजस्थान सीमा से बाहर परिवहन करने की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति या परमिट हमारे समक्ष पेश नहीं की गई है, और नाहीं कोई स्वीकृति प्राप्त करना बताया।

उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :–

> ".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंबधित है.....।"

प्रार्थना पत्र आर.बी.ए.एक्ट की धारा 6ए पर मैरिट पर सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निषप्रभावी हो जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन एचआर 74 बी 5670 गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अधिनियम की धारा 6(ए) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये उक्त कृत्य के लिये वाहन एचआर 74 बी 5670 पर जुर्माना (Fine) राशि चार लाख रुपये (बीमा पालिसी का आधार पर) लगाया जाना उचित पाते हैं।

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्रा0पत्र / 02 / 2022
एस.एच.ओ.कैंथवाड़ा बनाम मौहब्बत

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। जप्त वाहन के मालिक को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर वाहन एचआर 74 बी 5670 पर जुर्माना (Fine) राशि चार लाख रुपये राशि राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। गुजर ने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना खौह जिला भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.9.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर